शक्ति सन्तुलन की अवधारणा की प्रासंगिकता

मेहराब खाँ

सहायक–आचार्य–राजनीति विज्ञान
एस.बी.के. राजकीय महाविद्यालय जैसलमेर

शक्ति सन्तुलन सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का एक मौलिक सिद्धान्त तथा राजनीति का एक आधारभूत नियम माना जाता हैं। शक्ति सन्तुलन का अभिप्राय यह हैं कि विभिन्न राज्यों की शक्ति दो पक्षों में लगभग समान रूप से बंटी रहे, कोई भी एक पक्ष या एक राज्य अन्य राज्यों पर हावी न हो, इतना शक्तिषाली न हो कि वह दूसरे पर हमला करने, उसे दबाने या हराने में समर्थ हो। जिस प्रकार एक तुला के दो पलड़े समान भार होने पर सन्तुलित बने रहते हैं, उसी प्रकार की साम्यावस्था विभिन्न राज्यों में संधियों द्वारा बनी रहनी चाहिए। कोई एक देष अन्य राज्यों से अधिक शक्तिषाली नहीं होना चाहिए। यदि कोई देष अन्य देषों की तुलना में अधिक शक्तिषाली होता हैं तो वह उनके लिए संकट का कारण बन जाता हैं।

स्वतंत्रता, शांति, स्थिरता तथा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए शक्ति सन्तुलन आवष्यक हैं, क्योंकि एक निष्चित सीमा के बाद एक राज्य की बढ़ती हुई शक्ति अन्य सभी राज्यों को प्रभावित करने लगती हैं, इतना ही नहीं एक राज्य का अत्यधिक शक्तिषाली होने का अर्थ हैं अन्य राज्यों का विनाष। पडौसी राष्ट्रों में स्थिरता तथा शान्ति स्थापित करने का केवल एक ही उपाय हैं कि सब राष्ट्रों की शक्ति करीब–करीब समान हो।

शक्ति सन्तुलन को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की एक स्थिति, एक प्रक्रिया एक नीति और व्यवस्था के रूप में चित्रित किया जा सकता हैं।

सरल सन्तुलन तथा बहुमुखी सन्तुलन

शक्ति सन्तुलन दो प्रकार का होता हैं :– सरल सन्तुलन तथा बहुमुखी सन्तुलन। सरल सन्तुलन उस समय पाया जाता हैं जबकि शक्ति मुख्यतः दो राज्यों अथवा दो विरोधी गुटों में केन्द्रित हो। द्वितीय विष्वयुद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य कुछ इसी प्रकार का सन्तुलन उभरा, बहुमुखी सन्तुलन में अनेक राष्ट्र अथवा राष्ट्रो के समूह एक–दूसरे को सन्तुलित करते रहते हैं।

शक्ति सन्तुलन की विषेषताएं

शक्ति सन्तुलन की विषेषताएं निम्न प्रकार हैं :–

1– शक्ति सन्तुलन से अभिप्राय हैं कि तुल्य भारिता, इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी जानता हैं कि शक्ति इतना अस्थिर तत्व हैं कि शक्ति संबंध सदैव परिवर्तित और बदलते रहते हैं।

2– शक्ति सन्तुलन स्थापित करने के लिए राज्यों का सदैव प्रयत्नषील रहना पड़ता हैं, शक्ति सन्तुलन कोई दैवी वरदान नहीं हैं, वरन् मानव द्वारा निरंतर हस्तक्षेप करके स्थापित की जाने वाली एक स्थिति हैं।

3– शक्ति सन्तुलन की नीति यथापूर्व स्थिति को ज्यों का त्यों बनाये रखने की नीति हैं, किन्तु जो नीतियां यथापूर्व स्थिति के पक्ष में होती हैं वे प्रायः असफल होती हैं।

4– यह कहना अत्यंत कठिन हैं कि पूर्ण शक्ति संतुलन स्थापित हो गया हैं, क्योंकि शक्ति तत्व को मापना और स्थिर कर सकना असम्भव हैं। दो शक्ति गुटों की स्थिति बराबर हैं अथवा नहीं इसका परीक्षण केवल एक स्थिति में किया जा सकता हैं और वह हैं युद्ध।

5– शक्ति सन्तुलन किसी विषिष्ट राजनीतिक व्यवस्था का आवष्यक लक्षण नहीं हैं, लोकतांत्रिक व सर्वाधिकारवादी दोनों प्रकार के राज्य इसका प्रयोग कर सकते हैं। लोकतान्त्रिक देष साधारणतया अपनी उदारवादी नीतियों के कारण शक्ति सन्तुलन स्थापित करने में विषेष उत्सुक नहीं होते हैं और सर्वाधिकारवादी देष शक्ति सन्तुलन के हामी इसलिए नहीं होते हैं कि उनका लक्ष्य केवल अपना प्रसार करके एक ही साम्राज्य का निर्माण करना होता हैं।

6– शक्ति सन्तुलन के खेल में केवल बड़े राष्ट्र ही खिलाड़ी होते हैं। छोटे राष्ट्र तो इसका षिकार बनते हैं अथवा दर्षक के रूप में रहते हैं। जब तक वे स्वयं आपस में सफलतापूर्वक संगठित नहीं हो पाते हैं, वे शक्ति सन्तुलन की तुला के पलड़ों में रखे जाने वाले बांटों से कुछ अधिक नहीं होते हैं।

7– यह राज्य प्रणाली की कल्पना करता हैं। राज्य प्रणाली का अर्थ हैं कि प्रत्येक राज्य अपनी भूमि, स्वतंत्रता, सुरक्षा और आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था की रक्षा करना चाहता हैं।

8– स्वाभाविक रूप से राज्यों को डर हैं कि उनके हितों का नुकसान होगा। अपने हितों की रक्षा के लिए, राज्य शक्ति के समग्र वितरण, अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली में उनके स्थान और उनकी क्षमताओं के विस्तार पर ध्यान केन्दित करते हैं।

9– राज्य दूसरों को युद्ध की धमकी देते हैं या यहां तक की किसी स्थिति में सहायता करके अपने मौलिक हितों की रक्षा करने के लिए किसी राज्य को धमकी देते हैं। यह मान्यता हैं कि राज्य केवल तब तक धमकियां देंगे, जब तक कि वे सैनिक रूप से श्रेष्ठ न हो।

10– यह अधिक तर्कसंगत विदेष नीति और कूटनीति को अपनाने में मदद करता हैं। इस प्रकार शक्ति संतुलन का सिद्धांत एक व्यवहारिक अवधारण हैं जो सत्ता की राजनीति में राष्ट्र के हितों की रक्षा करने में मदद करता हैं।

11– यह अन्य राज्यों की शक्ति को पूरा करने में मदद करता हैं। यह उचित कार्यवाही करने में मदद कर सकता हैं।

शक्ति सन्तुलनों की स्थापना गठबंधन बनाकर, शस्त्रीकरण व निषस्त्रीकरण, बफर राज्य, हस्तक्षेप एवं अहस्तक्षेप, फूट डालो व शासन करो, सन्तुलनकारी राज्य के माध्यम से स्थापित की जाती हैं।

शक्ति सन्तुलन सिद्धान्त की प्रासंगिकता

सारांश रूप में यही कहा जा सकता हैं कि शक्ति सन्तुलन अन्तर्राष्ट्रीय जगत की एक वास्तविकता बन चुका हैं। शक्ति सन्तुलन में विभिन्न राष्ट्रों द्वारा पक्षों का बदलना संभव नहीं हैं। वर्तमान में राष्ट्र विभिन्न राष्ट्रों से राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक स्तरों पर परस्पर जुड़े हुवे हैं और गुटबंदियों से निकलना असम्भव सा कार्य हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के वर्तमान ढाँचे में शक्ति सन्तुलन की सार्थकता विवादास्पद हैं। अधिकांष विद्वानों का मत यही हैं कि आज की बदली हुई परिस्थितियों में शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था षिथिल पड़ गई हैं। पामर तथा पर्किंस के अनुसार वर्तमान विष्व की परिस्थितियाँ शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था के लिए अनुकूल नहीं हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का एक प्रभावकारी रूप हैं और अभी तक इसका कोई प्रभावकारी विकल्प नहीं बन पाया हैं।

पामर तथा पर्किंस ने शक्ति सन्तुलन सिद्धान्त की प्रासंगिकता को निम्न आधारों पर चुनौती दी हैं :–

1– शक्ति संतुलन का सिद्धान्त इतिहास में उस समय सुचारू रूप से चलता था जब यूरोप में समान शक्ति वाले अनेक राज्य थे। कालांतर में जब यूरोपीय सन्तुलन विष्व सन्तुलन में बदल गया तो राष्ट्रों के बीच शक्ति सन्तुलन बनाये रखने के लिए अनुपयुक्त दषाएं उत्पन्न हो गई। द्वितीय विष्वयुद्ध के पश्चात् द्वि–धुव्रीकरण की स्थापना हुई जिससे शक्ति सन्तुलन लागू नहीं हो रहा हैं। विष्व के सभी बड़े–बड़े राष्ट्र एक न एक गुट से दृढता से सम्बद्ध हैं और कोई ऐसा शक्तिषाली राष्ट्र नहीं हैं जो इधर से उधर सन्तुलन को ठीक कर दे।

2– अणु आयुधों ने भी शक्ति सन्तुलन की परम्परागत मान्यताओं को समाप्त कर दिया हैं। आधुनिक युद्ध के स्वरूप के कारण कोई भी सन्तुलन को ठीक करने के लिए विष्वव्यापी संघर्ष को आमंत्रित करने का साहस नहीं कर सकता हैं।

3– राष्ट्रवाद तथा वैचारिक आधारों के बढते हुए महत्व के कारण भी शक्ति संतुलन का सुचारू रूप से कार्य कठिन हो गया हैं। वैचारिक आधार ने राष्ट्रीयता की सीमाओं को षिथिल बना दिया हैं।

4– राष्ट्रों की शक्ति में अन्तर बढता जा रहा हैं। महाषक्तियां अधिक शक्तिषाली होती जा रही हैं, जबकि छोटे राज्य कमजोर होते जा रहे हैं।

5– सामूहिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के बढते हुए महत्व तथा प्रभाव ने आज के समय में संतुलन को कम प्रभावकारी कर दिया हैं।

संदर्भ :–

1– अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति– सिद्धान्त एवं समकालीन राजनीतिक मुद्दे, साहित्य भवन आगरा, डॉ. बी. एल. फड़िया–पृष्ठ– 231, 232, 233, 234
2– Waltz " Realism and international Politics" 214
3- Waltz "Theory of international Relations 118, 111, 122
4- Brooks and Wohlforth "world out of Balance- 22